न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 2/2018 जिला सीकर

1. मालाराम
2. सुरजाराम

पुत्रान गोमाराम, जाति जाट, निवासी लाडपुर, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला

रेस्पोंडेन्ट

2. प्रियंका पत्नी कपूर चन्द
3. पार्वती पत्नी भगवान सहाय (फौत) (नाम हज्फ)
4. सोहन लाल पुत्र मालीराम, जातियान ब्रह्मण
5. प्रेम
6. विमला

पुत्रियॉ मालीराम

7. पुष्पा देवी पत्नी फतेहचन्द
8. अर्चना देवी पत्नी विनोद कुमार
9. संतरा देवी पत्नी मदन लाल
10. पुष्पा देवी पत्नी केदारमल
11. मंगलचन्द पुत्र रामेश्वर
12. संज्या पत्नी शिशुपाल
13. सोहनी पत्नी शंकर लाल

जाति जाट, समस्त निवासीयान लाडपुर, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

सह खातेदार रेस्पोन्डेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर दिनांक 4.1.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री के.आर.शर्मा

निर्णय

दिनांक– 16.10.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 4.1.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 8.1.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि तहसीलदार (भू.अ.) खण्डेला , जिला सीकर ने पत्र कमांक: भू.अ. /2016/3169 दिनांक 26.12.2016 द्वारा फर्द मौका, रास्तों का विवरण एवं नक्शा संलग्न् कर ग्राम लाडपुर तहसील खण्डेला, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 198, 185, 196, 195, 186, 182 में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर को किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने प्रकरण संख्या राजस्व/ 2016/ प.म.–मलिकपुर/ 06 दिनांक

4.1.2017 से माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.16 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्र क्रमांकः राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.16 एवं राजस्व/2016/ 4328–53 दिनांक 21.11.16 की पालना में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार , खण्डेला के द्वारा अभिशंसित प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये एवं तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि निम्न खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार खण्डेला द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेश आदेश का भाग रहेगाः–

क्र. सं.	नाम पटवार मंडल	राजस्व ग्राम	खसरा नं	रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा (है.में)
1.	मलिकपुर	लाडपुर	198	0.0960 है.
			185	0.1120 है.
			196	0.0448 है.
			195	0.0336 है.

उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के उक्त आदेश दिनांक 4.1.2017 के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम लाडपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 185, 196 एवं खसरा नम्बर 183 व 184 के अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 13 अपने अपने हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है व हिस्से अनुसार काबिज कास्त है । पटवारी हल्का ने केवल मात्र सरपंच, रणजीत, घासीराम, जगदीश पुत्र मूंगाराम व दो अन्य अपठित के हस्ताक्षर कर रिपोर्ट मय नक्शा भू अभिलेख निरीक्षक को भेजी व तहसीलदार खण्डेला ने बिना मौका देखे व अपीलान्ट्स को बिना सुने उप खण्ड अधिकारी खण्डेला को गैर मुमकीन रास्ता कायम करने बाबत अभिशंषा प्रेषित की थी तथा उप खण्ड अधिकारी ने विवादित भूमि के संबंध में जॅाच किये बिना ही व खातेदारान को बिना नोटिस दिये व बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि खसरा नम्बर 198 गैरमुमकीन शमशान हैं जिसमें से रास्ते का इन्द्राज 0.0960 हैक्टेयर में कर दिया जबकि गैरमुमकीन शमशान की भूमि में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता । अपीलान्ट्स की भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा न ही मौके पर कोई रास्ता है, केवल मात्र सरपंच ने अपने राजनैतिक लाभ के लिये पटवारी हल्का से मिलकर 4–5 लोगों को पटवार घर पर बैठ कर ही रिपोर्ट तैयार करवाकर प्रस्तुत की है । उनका कहना था कि खसरा नम्बर 185 व 196 पर

अपीलान्ट्स व अन्य सहखातेदारों की फसल सरसों, मेथी, गेहूँ व जो की खडी है एवं दिनांक 22.12.16 को मौके पर फसल रही है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स प्रभावित व हितबद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना नोटिस दिये व बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में से गैरमुकीन रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं दिये जाने से अपीलाधीन आदेश का ज्ञान उन्हें समय पर नहीं हो सका एवं अपीलाधीन आदेश का ज्ञान होने पर यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । अतः न्यायहित में विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकर की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि में से प्रचलित रास्तों के रूप से 30–40 वर्षों से रास्ता चालू होने बाबत पटवारी हल्का ने फर्द मौका रिपोर्ट में अंकन किया है तथा इसी के आधार पर तहसीलदार खण्डेला ने विवादित आराजी में से प्रस्तावित रकबा गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी को प्रेषित की थी एवं अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की अभिशंषा एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्र क्रमांकः राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं राजस्व /2016/4328–53 दिनांक 21.11.2016 की पालना में आदेश दिनांक 4.1.2017 पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनिम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला द्वारा प्रस्तावित विवादित भूमि में से गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं । कायम किया गया गैर मुमकीन रास्ता आम जन की सुविधा के लिये है जिसमें ग्रम पंचायत के निवासी आते जाते हैं । उनका कहना था कि मौके पर विवादित भूमि में से रास्ता चालू था, लेकिन राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन नहीं था । उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने तहसीलदार खण्डेला के प्रस्ताव पर सभी काश्तकारों की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं, जो जनहित में होने से उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये एवं विलम्ब के संबंध मे लचिला रूख अपनाते हुये न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण मे विवाद तहसीलदार की अभिशंषा पर अपीलान्ट्स एवं अन्य सह खातेदारों की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.1.2017 पारित किया गया है। अपीलान्ट्स की मुख्य आपत्ति कि तहसीलदार ने बिना मौका देखे विवादित भूमि में से रास्ते के प्रस्ताव उप खण्ड अधिकारी को भेजे हैं तथा उप खण्ड अधिकारी ने भी बिना जॉच किये व बिना खातेदारों को नोटिस दिये व बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं।

प्रति
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट्स ग्रम लाडपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 185 व 196 की भूमि रकबा 0.1120, 0.0448 के खातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.1.2017 पारित कर अपीलान्ट्स उक्त खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो अपीलान्ट्स , जो विवादित भूमि के खातेदार है, को नोटिस जारी किये एवं न ही उन्हें सुना गया । हम समझते हैं कि किसी भी प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुने एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके अधिकारों के प्रतिकूल तथा उसके अधिकारों को प्रभावित करने वाला निर्णय न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के विरूद्ध है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर दिनांक 4.1.2017 प्राकृतिक न्याय केसिद्धान्तों खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर दिनांक 4.1.17 अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्रम लाडपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 185 व 196 रकबा 0.1120, 0.0448 में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर दिनांक 4.1.2017 अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्रम लाडपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 185 व 196 रकबा 0.1120, 0.0448 में से रास्ता कायम करने की हद तक निरस्त किया जाता हैं तथा उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 16.10.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर